

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जून 2010—ज्येष्ठ 21, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जून 2010

क्र. 2639-236-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ४ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१०.

[“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, में दिनांक ११ जून, २०१० को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया:

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ और मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

चूंकि, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१० है.

(२) यह २६ मार्च, २०१० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २७ सन् १९७२ और क्रमांक ८ सन् १९८० का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) और मध्यप्रदेश विधान-मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) धारा ३ से ६ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्याधीन रहते हुए प्रभावी होंगे.

भाग—एक

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) में संशोधन.

धारा २ का प्रतिस्थापन.

३. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वेतन.

“२. अध्यक्ष को सत्ताइस हजार रुपये और उपाध्यक्ष को पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास वेतन दिया जाएगा.”

धारा ३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३ में,—

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए अर्थात् :—

“(१) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को अठारह हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा.”;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द “अठारह हजार” के स्थान पर, शब्द “सत्रह हजार” स्थापित किए जाएं.

भाग—दो

मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८०
(क्रमांक ८ सन् १९८०) में संशोधन.

५. मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) (जो धारा ३ का संशोधन इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, शब्द "दस हजार" के स्थान पर, शब्द "सत्ताईस हजार" स्थापित किए जाएं.

६. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

- (एक) उपधारा (१) में, शब्द "तेरह हजार" के स्थान पर, शब्द "अठारह हजार" स्थापित किए जाएं;
(दो) उपधारा (२) में, शब्द "अठारह हजार" के स्थान पर, शब्द "सत्रह हजार" स्थापित किए जाएं;

धारा ४ का संशोधन

भोपाल :

रामेश्वर ठाकुर

तारीख : ११ जून, सन् २०१०.

राज्यपाल, मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2010

क्र. 2640-236-इक्कीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 4 OF 2010

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA
EVAM NETA PRATIPAKSHA VETAN TATHA BHATTA VIDHI
(SANSHODHAN) ADHYADESH, 2010.

First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th June 2010

Promulgated by the Governor in the Sixty-first year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 and the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance —

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksh Evam Neta Pratipaksha Vetan Tatha Bhatta Vidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2010.

Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force from the 26th March, 2010.

Madhya Pradesh Act No. 27 of 1972 and No. 8 of 1980 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972) and the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980) shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 to 6.

PART I

Amendment to the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972)

Substitution of Section 2.

3. For Section 2 of the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972). (hereinafter referred to as the Principal Act), the following Section shall be substituted, namely :—

Salaries of Speaker and Deputy Speaker.

“2. There shall be paid a salary per mensem of rupees twenty seven thousand to the Speaker and rupees twenty five thousand to the Deputy Speaker.”.

Amendment of Section 3.

4. In Section 3 of the Principal Act,—

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“ (1) There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker a sumptuary allowance of rupees eighteen thousand per mensem.”;

(iii) in sub-section (2), for the words “eighteen thousand”, the words “seventeen thousand” shall be substituted.

PART II

Amendment to the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980).

Amendment of Section 3.

5. In Section 3 of the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980). (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words “ten thousand” the words “twenty seven thousand” shall be substituted.

Amendment of Section 4.

6. In Section-4 of the Principal Act,—

(i) in sub-section (1), for the words “thirteen thousand” the words “eighteen thousand” shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words “eighteen thousand”, the words “seventeen thousand” shall be substituted.

Bhopal :
Dated the 11th June, 2010.

RAMESHWAR THAKUR
Governor,
Madhya Pradesh.